Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding implementation Satluj-Yamuna Link Canal judgement of the Suprme Court.

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । नया डिवीजन नंबर मिलने के बाद दूसरी बार आज जीरो ऑवर में बोलने का मौका मुझे मिल गया । जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बिल, 2019 आया, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वर्ष 1966 में कम्बाइंड पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था । उस समय यह समझौता हुआ था कि रावी, सतलुज वहां पर जो न**दि**यां हैं, उनका पानी हरियाणा को दिया जाएगा । इसके तहत 214 किलोमीटर की नहर में यह डिसाइड हुआ था कि 92 किलोमीटर नहर हरियाणा बनाएगा और बाकी पंजाब सरकार बनाएगी क्योंकि वह एसवाईएल के नाम से फेमस है । सतलुज-यमुना लिंक, वहां पर लिंक नहर बनाई जाएगी, क्योंकि हमारे हरियाणा में नदी नहीं है । वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1971, वर्ष 1976 फिर उसके बाद वर्ष 1981 में उस समय के प्रधान मंत्री के साथ समझौता हुआ, उसके बाद पंजाब और हरियाणा सुप्रीम कोर्ट चले गए । वर्ष 1984 में वहां से फिर समझौता हुआ, जिसे राजीव-लोंगोवाल समझौता कहा जाता है । सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा गए । आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का हमारे फेवर में डिसीजन आ चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पंजाब नहीं मान रहा है । जल शक्ति मंत्रालय से मेरी विनती है कि एसवाईएल बड़ा जबरदस्त मुद्दा हरियाणा के लिए है । जलशक्ति मंत्रालय इंटरवीन करके उनको बोले कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो वह कम से कम माने, आपस में हम प्यार, प्रेम से रहें । हम पड़ोसी हैं । अगर हम इस तरह से करेंगे, कैसे चलेगा? वर्ष 1966 से लेकर आज तक यह सुलझ नहीं पाया है । सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो कम से कम पंजाब को मानना चाहिए । मैं यही कहूंगी कि "पर्वत, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद न इन्हें रोके ।" धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।